

(10)	(11)
<p>(i) 85% of vacancies by direct recruitment through Staff Selection Commission;</p> <p>(ii) 10% of the vacancies shall be filled up by promotion from amongst the Group C staff (erstwhile Group D staff) in level 1 in the pay matrix (₹18000-56900) and who possess 12<sup>th</sup> Class pass or equivalent qualification and have rendered three years' regular service in the level, on the basis of qualifying the limited departmental competitive examination. The maximum age-limit for eligibility for examination is forty-five years and fifty years of age for the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;</p> <p>(iii) 5% of the vacancies shall be filled on seniority-cum-fitness basis from Group 'C' employees who have three years' regular service in posts in level 1 in the pay matrix (₹18000-56900).</p> <p><b>Note:</b> If more of such employees than the number of vacancies available under Clause (ii) qualified at the examination, such excess number of employees shall be considered for filling the vacancies arising in the subsequent years so that the employees qualifying at an earlier examination are considered before those who qualify at a later examination.</p>	As stated in column (10)

(12)	(13)
<p><b>Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering cases of promotion as well as confirmation) consisting of –</b></p> <p>1. Deputy Surveyor General (Administration) – Chairman</p> <p>2. One Group 'A' Officer from office other than Survey of India – Member</p> <p>3. Assistant Surveyor General – Member.</p>	Not applicable.

[F. No. SM/02/02/2017]

NEELAM, Under Secy. (SMP)

### जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

**सा.का.नि.300.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम 1997 को और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड निदेशक (प्रशासन) भर्ती (संशोधन) नियम 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड निदेशक (प्रशासन) भर्ती नियम 1997 (इसमें इसके पश्चात इन्हे मूल नियम कहा गया है),-
  - (i) नियम 1, के उपनियम (1) में, "केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (निदेशक, प्रशासन)" शब्दों और कोष्ठको के स्थान पर "जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड निदेशक (प्रशासन)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे
  - (ii) नियम 2 के स्थान पर निम्नलिखित नियम रखे जाएंगे, अर्थात्:—

**"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.**—पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं"।

- (iii) नियम 3 में "स्तम्भ 5 से 14" शब्दों और अंकों के स्थान पर "स्तम्भ 5 से 13" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;  
 (iv) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात्:—

### अनुसूची

पद का नाम (1)	पद संख्या (2)	वर्गीकरण (3)	वेतन मैट्रिक्स में स्तर (4)
निदेशक (प्रशासन)	1* (2018)  *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय	स्तर 13 (1,23,100- 2,15,900 रु.)

चयन अथवा अचयन पद (5)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा (6)	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं (7)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी (8)	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो (9)	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता (10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रतिनियुक्ति/आमेलन/भूतपूर्व सैनिक का पुनः नियोजन

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा

### (11)

**प्रतिनियुक्ति/आमेलन:** केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के अधीन अधिकारी, अखिल भारतीय सेवा और केन्द्रीय सरकार की समांतर समूह 'क' सेवा के ऐसे अधिकारी:—

- (क) (I) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सद्रश्य पद धारण किए हुए हो या  
 (II) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स में (78800-20,9200 रु.) के स्तर-12 में पाँच वर्ष की नियमित सेवा ही हो और  
 (ख) जिनके पास स्थापना, कार्मिक प्रबंध, प्रशासन और लेखा मामलो में बारह वर्ष का अनुभव हो और सरकार के नियम और प्रक्रिया का गहन ज्ञान हो ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर वाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 5 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालीन संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी )।

**प्रतिनियुक्ति/पुन नियोजन (सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए)**

उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से विमुक्ति किया जाता है और तत्पश्चात् उन्हें पुनः नियोजन के आधार पर बने रहने दिया जा सकता है। (सिविल पदों के प्रति निदेश से अधिवाचिता की आयु तक पुनः नियोजन)

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)	(13)
समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के सम्बन्ध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :—	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।
1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	अध्यक्ष;
2. संयुक्त सचिव/उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय	सदस्य;
3. सदस्य, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड	सदस्य

[फा. सं. 21/17/2016-सीजीडबल्यूबी]

एस. के. कटारिया, अवर सचिव

टिप्पण : मूल नियम भारत के राजपत्र, भाग-II खंड 3 उपखंड (7), तारीख 17 जनवरी 1998 में संख्या सा. का. नि. 15, तारीख 31 दिसंबर 1997 द्वारा अधिसूचित और प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् संख्या सा. का. नि. 402 तारीख 27 सितंबर 2000 द्वारा संशोधित किए गए थे।

## MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 31st August, 2018

**G.S.R. 300.**—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Ground Water Board Director (Administration) Recruitment Rules, 1997, namely:—

1. (1) These rules may be called the Central Ground Water Board Director (Administration), Recruitment (Amendment) Rules, 2018.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Central Ground Water Board Director (Administration) Recruitment Rules, 1997 (hereinafter referred to as the principal rules),—
  - (i) In rule 1, in sub-rule(1), for the words and brackets “Central Ground Water Board (Director, Administration)” the words and brackets “Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation, Central Ground Water Board, Director (Administration)” shall be substituted;
  - (ii) for rule 2, the following rule shall be substituted, namely:—
 

**“2. Number of posts, classification and level in pay matrix.**—The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.”;
  - (iii) in rule 3, for the words and figures “columns 5 to 14”, the words and figures “columns 5 to 13” shall be substituted;
  - (iv) for the Schedule, the following Schedule shall be substituted, namely:—

## SCHEDULE

Name of the post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Director (Administration).	1*(2018) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, (Group 'A'), Gazetted, Ministerial.	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900).	Not applicable

Age-limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(6)	(7)	(8)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

Period of Probation, if any	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or deputation or absorption and percentage of the vacancies to be filled by various method.
(9)	(10)
Not applicable	Deputation/Absorption/Re-employment of Ex-servicemen.

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, grade from which promotion or deputation or absorption is to be made.

(11)

**Deputation/Absorption:**

Officers under the Central Government or State Governments or Union territories/ Officers of All India Services and organised Group 'A' Services of the Central Government:

- (a)(i) holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department ; or
- (ii) with five years regular service in the post in level-12(Rs.78800-209200) in pay matrix in the parent cadre or department; and
- (b) having twelve years experience in establishment, personnel management, administration and accounts matters and having a thorough knowledge of Government rules and procedures.

[Period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty six years as on the closing date for receipt of application].

**Deputation/Re-employment (for Armed Forces Personnel):**

Armed Forces personnel of the rank of Colonel or equivalent who are due to retire, or are to be transferred to reserve within a period of one year and having the experience prescribed above shall also be considered. If selected, such persons would be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the Armed Forces and thereafter they may be continued on re-employment basis. In cases such eligible officers have retired before the actual selection to the post is made, their appointment will be on re-employment basis (Re-employment upto the age of superannuation with reference to Civil post).

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
<b>Group 'A' Departmental Promotion Committee for considering confirmation consisting of :—</b> 1. Chairman, Central Ground Water Board – Chairman; 2. Joint Secretary /Deputy Secretary, Ministry of Water Resources – Member; 3. Member, Central Ground Water Board – Member	Consultation with Union Public Service Commission necessary.

[F. No.21/17/2016-CGWB]

S. K. KATARIA, Under Secy.

**Note:** The principal rules were notified and published in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (i), dated 17<sup>th</sup> January, 1998 vide number G.S.R. 15, dated the 31<sup>st</sup> December, 1997 and subsequently amended vide number G.S.R. 402, dated the 27<sup>th</sup> September, 2000.

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2018

**सा.का.नि.301.**—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड, में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद, भर्ती नियम, 2010 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन, मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2018 है।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (भूभौतिकी), समूह 'ख' पद भर्ती (संशोधन) नियम 2010 में,—
  - (i) नियम 1. के उपनियम (1) में 'जल संसाधन मंत्रालय' शब्दों के स्थान पर, "जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय" शब्द रखे जाएंगे;
  - (ii) नियम 2, के स्थान पर, निम्नलिखित नियम रखा जाएगा, अर्थात् :—  
**"2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर .—**पद संख्या, उसका वर्गीकरण और उससे संबन्धित वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।";
  - (iii) नियम 3 में, "स्तंभ (5) से स्तम्भ (14)" शब्दों, कोष्ठको और अंकों के स्थान पर "स्तंभ (5) से स्तंभ (13)" शब्द, कोष्ठक और अंक रखे जाएंगे;
  - (iv) अनुसूची के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूची रखी जाएंगी, अर्थात्:—